

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

राम राजी पंडित

वनाम

जोगी पंडित

वाद संख्या-48/2013-14

वाद का प्रकार-सीमांकन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि के सीमांकन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा कटैया थाना वो अंचल बिरौल जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
173	708		
नया	नया	7 धुर	उ०-राम स्वरूप साहु द०-सड़क पु०-जोगी पंडित प०-सत्तो पंडित

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी का एक भूखण्ड जिसका मौजा कटैया थाना वो अंचल बिरौल जिला दरभंगा के खाता नं०-173 नया खेसरा 708 नया रकबा 1/1/2 (डेढ़) डि० यानि 7 धुर है जो वादी का सम्पत्ति है। वादी का यह भूखण्ड बजरिये हाल खतियान पिता फुचन पंडित के नाम से प्राप्त है। वादी के पिता फुचन

c.c. Issued Vide NO-
505 dt. -26.11.13
H.A. 26.11.13

c.c. Issued Vide NO-548 dt. -
18/12/13
H.A. 20/12/13

पंडित मालिक द्वारा इस भूखण्ड पर बसाये गये थे। हाल सर्वे के समय सर्वे आमला इस भूखण्ड पर वादी का शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो मकान पाकर खाता वादी के पिता फुचन पंडित के नाम 03 डि० का मकानमय सहन कर खोला। फुचन पंडित अपने पीछे दो संतान छोड़कर स्वर्गवासी हुए जिनमें जोगी पंडित बड़ा लड़का वो रामराजी पंडित छोटा लड़का है और इस तरह फुचन पंडित के नाम 03 डि० के खाता में दोनो भाई को 1/1/2 (डेढ़) डि० का हिस्सा मिला। फुचन पंडित के स्वर्गवास होने के बाद दोनो लड़का आपसी रजामंदी से इस भूखण्ड को बटवारा डेढ़ डि० यानि 7-7 धुर पर दखल काबिज हुए। इस बीच प्रतिवादी जो वादी के सगा भाई है के मन में बेईमानी आ गया और वादी को कमजोर समझ कर वह वादी के हिस्से के जमीन को कब्जा कर घर बनाने पर उतारू हो गया। अनुमंडल दण्डाधिकारी बिरौल ने इस भूखण्ड पर 144 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारंभ किया जिसका मुकदमा सं० 90/13 है जो विचाराधीन है।

वहीं दुसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि पुर्व भूस्वामी के मलिकाना स्वामित्व वो वादी के पिता ने ही मालिक के फरीकैन सुनन्द चौधरी के द्वारा बेचे गये प्रश्नगत भूखण्ड 1969 ई० के केवाला का दर केवाला बनारसी मंडल से 9 धुर 11 कनमा लेकर स्वीकार कर चुके है फिर प्रतिवादी ने उक्त मालिक के फरीकैन का जायज शेयर प्रश्नगत भूमि में से 11 धुर खरीद किये है जो वैधानिक और न्याय संगत है। वादी का दावा सिर्फ हाल खतियान उनके पिता के नाम दर्ज होने को लेकर है जबकि सर्व विदित है कि हाल सर्वे में सुधार की 90 प्रतिशत मामले प्रकाश में आने के बाद सरकार भी उसके पुन सत्यापन पर विचार करने पर मजबुर है। अतः वादी के स्वामित्व की वहाँ 3 धुर 3 कनमा के अलावे कोई भूमि ही नहीं है जिसके लिए सीमाकनं वाद की आवश्यकता होगी। वादी और प्रतिवादी के पिता द्वारा मलिकाना जमीन का दर केवाला 3 धुर 3 कनमा प्रश्नगत खेसरा में है जो आवेदक प्रतिवादी के खरीद 11 धुर रकवा से बाहर तरफ पश्चिम खाली पड़ा है जिसमें वादी का 2 धुर पौन सात कनमा होता है जिसका स्थायी या आपसी बटवारा बाकी है एसी परिस्थिति

में सीमाकन के प्रयोजन का सवाल ही नहीं बनता है। वादी का कथन वाद की कंडिका 7 में पिता फुचन पंडित के नाम दर्ज हाल खतियान की भूमि का पिता के स्वर्गवास होने के बाद दोनो भाई (वाद वो प्रतिवाद) आपसी रजामन्दी से डेढ़ डि० यानि 7-7 धुर बॉटकर दखल काबिज हुए बेईमान और वेतुकी बाते है। किसी की जमीन का हाल खतियान के आधार पर बॉटकर दखल काबिज होने की बात करना वादी की कलवी स्वभाव को दर्शाता है। वादी के वाद पत्र की कंडिका 11 में श्रीमान अनुमंडल दण्डाधिकारी बिरौल के न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को लेकर द० प्र० सं० की धारा 144 की कार्यवाही मु० सं० 90/13 के विचाराधीन होने की बात कही गई जो कथन भी आधा सत्य और आधा भ्रामक है क्योंकि उक्त कार्यवाही का निष्पादन प्रतिवादी के पक्ष में हो चुका है जिससे आक्रोशित हो अपने पराजय की हीनता के वचाव में वादी वेतुकी प्रस्तुत सीमाकन वाद दायर किये जबकि वाद पत्र के उनके सारे कथनो पर विचारोपरान्त वादी के दावे को मु० सं० 90/13 में श्रीमान अनुमंडल दण्डाधिकारी बिरौल ने खारिज कर दिये और वादी के कथन और सबुत एवं दखल कब्जा को न्यायहित में वैध स्वीकार किये।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर हाल खतियान में दर्ज रकवा में से आधे रकवा 1/1/2 (डेढ़) डि० पर दावा करते हुए सीमाकन की माँग की गई है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में हाल खतियान की प्रति संलग्न की गई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी के पिता के नाम से 3 डि० भूमि दर्ज है। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर उनके पत्नी के नाम से 11 धुर का केवाला से प्राप्त होने के आधार पर दावा किया गया है। प्रतिवादी द्वारा 11 धुर का केवाला एवं लगान रसीद संलग्न की गई है। प्रतिवादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के पिता द्वारा संयुक्त खरीद की गई भूमि का केवाला भी संलग्न किया गया है। प्रतिवादी का कथन है कि हाल खतियान में गलत रकवा दर्ज हो गया है जिसके कारण वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के आधे हिस्से पर दावा किया जा रहा है। विभिन्न केवालाओं के अवलोकन से यह कतई स्पष्ट नहीं

होता है कि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त या उभय पक्ष के पिता के नाम से 3 डि० भूमि हैं। जबतक यह प्रमाणित नहीं होता है कि उभय पक्ष के पिता के नाम से 3 डि० भूमि है तबतक आधे रकवा पर वादी के अधिकार की पुष्टी एवं सीमाकनन नहीं की जा सकती है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से सं. बंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित


15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल


15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल